

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 16 के आलोक में गन्ना विकास विभाग में कार्यरत कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष 2025-26 हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर निम्नानुसार स्थानान्तरण समिति का गठन किया जाता है -

1. अपर आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड।
3. वित्त अधिकारी, मुख्यालय।
4. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उप खण्ड, काशीपुर।

उपरोक्त समिति उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की संगत धाराओं में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत गन्ना विकास विभाग में कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

(चन्द्र सिंह धर्मशक्तू)

आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड
काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)।

पत्रांक 16/c /स्था0/वा0 दिनांक :

01/04/2025.

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड।
3. संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अधिकारी, मुख्यालय।
5. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, ऊधमसिंह नगर।
6. सहायक गन्ना आयुक्त, ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/देहरादून।
7. सहायक गन्ना आयुक्त, मुख्यालय।
8. सहायक चीनी आयुक्त, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)।
9. सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई, उप खण्ड काशीपुर, जनपद- ऊधमसिंह नगर।
10. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।


आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड